भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 468
बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर और पवन ऊर्जा विकास के लिए राज्यों को प्राथमिकता

468. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश के लिए कोई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश को सौर और पवन ऊर्जा विकास के लिए एक प्राथमिकता वाले राज्य के रूप में चिह्नित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक देश में गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस 500 गीगावॉट में कोई विशिष्ट राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक देश के सभी राज्यों के लिए ऊर्जा खपत के कुल हिस्से के प्रतिशत के रूप में विद्युत वितरण लाइसेंसों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा (RE) की खपत का न्यूनतम हिस्सा विनिर्दिष्ट किया है। कुल आरई के लिए वर्ष-वार नवीकरणीय उपभोग दायित्व (RCO) नीचे दिया गया है:

वर्ष	**कुल नवीकरणीय ऊर्जा (आरई)**
2024-25	29.91%

2025-26	33.01%
2026-27	35.95%
2027-28	38.81%
2028-29	41.36%
2029-30	43.33%

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (NREDCAP) ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 160 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लक्ष्य के साथ आंध्र प्रदेश एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 तैयार की है।

(ग) आंध्र प्रदेश सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए देश के संभाव्यता वाले राज्यों में से एक है। राज्य में 299.3 गीगावॉट (नाइस सोलर पोटेंशियल मैप ऑफ इंडिया, 2025) की सौर ऊर्जा क्षमता और 123.3 गीगावॉट की पवन ऊर्जा क्षमता (150 मीटर ऊंचाई पर नीवे विंड पोटेंशियल मैप, 2023) का अनुमान लगाया है।

(घ) सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता को बढ़ावा देने और उसमें गति लाने के लिए कई कदम उठाए हैं और पहल की है, जैसा कि अनुलग्नक में दिया गया है। इसके अलावा, NREDCAP से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 को अधिसूचित किया है। इस नीति में RE क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए परियोजना डेवलपर्स को दिए जा रहे प्रोत्साहन और सुविधा शामिल हैं।

अनुलग्नक-I

दिनांक 22.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 468 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और गति देने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य नवीकरणीय ऊर्जा (FDRE) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- 500 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (CFD) के लिए पायलट योजना जारी की गई। सीएफडी तंत्र, जो एक वैश्विक रूप से सिद्ध फ्रेमवर्क है, विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री के लिए एक वैकल्पिक साधन (दीर्घकालिक विद्युत खरीद करारों के अलावा) प्रदान करेगा
- नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ाने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (RPO) के बाद नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (RCO) ट्रैजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू RCO की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। RCO में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए)के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरु की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्कों में कुछ समय-सीमा और शर्तों के साथ छूट।
- नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- सौर फोटोवेल्टेक उत्पादों (अर्थात, सौर पीवी मॉड्यूलों, सौर पीवी इनवर्टरों और भंडारण बैटरी) तथा सौर जल तापन प्रणालियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया गया।
- भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता नियोजन फ्रेमवर्क (Resource adequacy planning Framework) के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- दिनांक 12 जून, 2025 को प्रोटोटाइप पवन टरबाइन मॉडलों की स्थापना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
- दिनांक 31 जुलाई 2025 को पवन टरबाइन मॉडलों और निर्माताओं (RLMM) की संशोधित सूची में पवन टरबाइन मॉडलों को शामिल करने/अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी की गई। यह संशोधन RLMM का नाम बदलकर मॉडलों और निर्माताओं की स्वीकृत सूची [ALMM (पवन)] के रूप में करता है और भारत के भीतर डेटा केंद्रों की अनिवार्य पुनर्स्थापना और भारत के बाहर रियल-टाइम डेटा हस्तांतरण पर प्रतिबंध के साथ-साथ ब्लेड, टॉवर, जनरेटर, गियरबॉक्स और विशेष बीयरिंग (मुख्य, पिच और यॉ बियरिंग) जैसे सूचीबद्ध कंपोनेंटों का उपयोग करना अनिवार्य करता है।
- दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को ALMM-पवन और ALMM - पवन टरबाइन कंपोनेंटों (ALMM - WTC) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई, जिसमें आवेदन, सत्यापन, कारखाना निरीक्षण, कंपोनेंट मूल्यांकन और मॉडल सूचीबद्धता के लिए एंड-टू-एंड प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (S & L) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

- तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (LPS नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किया गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनजी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (LC) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
